न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर

बइजलास दिव्या RAS

वादपत्र सं. 120/2025

अनुवान आदेश सींवर बनाम राजस्थान सरकार

दावा अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 06-06-2025

आदेश सींवर पुत्र श्री महेन्द्र कुमार सींवर जाति जाट निवासी पिचकराईं ताल तहसील भानीपुरा जिला चूरू राजस्थान

–वादी

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भानीपुरा जिला चूरू

–प्रतिवादी

उपस्थिति –

1. श्री महेन्द्र कुमार सींवर एडवोकेट वास्ते वादी
2. पैरोकार राज

निर्णय

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद का विवरण इस प्रकार से है कि वादी गांव पिचकराई ताल का पुश्तैनी निवासी है। वादी के पूर्वज तथा पिचकराई टिब्बा के वर्तमान निवासियों के पूर्वज नजरी नक्शा एनेक्श्चर 'क' में नीला रंग से दर्शायी आबादी भूमि ख0 नं0 19 मौजा रेख खोजेर पट्टा रावतसर में अर्सा पहले रिहायश करते थे। आज से करीब सवा पांच सौ वर्ष पूर्व वादी के पूर्वज खोजेर गांव को छोड़कर वर्तमान गांव पिचकराईं ताल में आकर रिहायश करने लगे तथा कई परिवार गांव खोजेर से पलायन कर नये स्थान गांव पिचकराईं टिब्बा में आकर बस गये तथा कई परिवार अन्य गांवों में जाकर बस गये। वादी के गांव पिचकराईं ताल की आबादी भूमि ख0 नं0 402 जिसे संलग्न नजरी नक्शा में हरा रंग भरकर दर्शाया गया है से एक कटानी रास्ता रेख खोजेर पट्टा रावतसर की ओर गुजरता है जो खेत ख0 नं0 384 से 336 व 320 रोही पिचकराईं ताल तक कटानी है। उससे आगे खेत ख0नं0 1 व 2 मु0 माना बेवाह काशीराम, रतीराम, तारूराम, अमरसिंह, पन्नाराम, भालूराम पुत्रगण काशीराम, बीरबलराम पुत्र सुखाराम, रामूराम, गुगनराम पुत्रगण खुमाणाराम, मोहरसिंह, साहबराम, अमरसिंह, शीशराम, महेन्द्र, विमला, मंजू पुत्रगण व पुत्रियां मनफूल, भगवानीदेवी पत्नी हरिराम, दलीप, रामकुमार, सुमन पुत्रगण एवं पुत्री हरिराम तथा संतोष पुत्री मनफूलराम की संताने जाति जाट निवासीगण पिचकराईं ताल तहसील भानीपुरा के रोही रेख खोजेर पट्टा रावतसर के ख0 नं0 1 एवं 2 में कटानी रास्ता नहीं है। जबकि उक्त खेत में से पीढियों से रास्ता गुजरता है। जिससे होकर पीढी–दर–पीढी उक्त कदीमी रास्ते से वादी सहित ग्रामवासी व खेत ख0नं0 1 व 2 के खातेदार काश्तकार एवं अन्य निरन्तर शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग में लेते चले आ रहे हैं। ख0नं0 1 व 2 के खातेदार काश्तकार के खेत के चिपती ख0 नं0 19 आबादी भूमि रेख खोजेर

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

है। जिसके चिपती उतर की तरफ की भूमि ख0 नं0 27 रोही रेख खोजेर पट्टा शिमला पायतन भूमि है। इस पायतन भूमि में एक बडा कच्चा जोहडा व एक पक्का जोहडा बना हुआ है। कच्चे जोहडे को पातवाना जोहड़ा पुकारते एवं जानते है। जिससे होकर राहगीर आवागमन करते है। वादी के गांव के समीप ही गांव पिचकराईं टिब्बा है तथा नजदीक का गांव शिमला व रातूसर है। रोही रेख खोजेर पट्टा रावतसर जिसे नजरी नक्शा में लाल लाईन से दर्शाया गया है तथा रोही रेख खोजेर पट्टा शिमला जिसे नजरी नक्शा में पीला रंग भरकर दर्शाया गया है इस स्थान पर गांव खोजेर आबाद था। जहां पुराने कुए, कुण्ड बने हुए हैं तथा तेजूवीर दादा का मन्दिर व धर्मशाला भी है। जहां तिथि चौथ पर मेला भरता है। जहां गांव पिचकराईं ताल, पिचकराईं टिब्बा रातूसर, शिमला व अन्य गांवों के सींवर गौत्र के परिवार तेजूपीर दादा क दर्शन करने व धोक लगाने आते हैं तथा कुछ लोग नियमित रूप से धोक देने आते हैं। ख0नं0 1 व 2 के खातेदार काश्तकार के खेत रोही रेख खोजेर पट्टा रावतसर में कटानी रास्ता नहीं है। लेकिन रास्ता पीढियों से गुजरता है उसे संलग्न नजरी नक्शा में A to B अंकित कर लाल रंग की लाईन से दर्शाया गया है। जिसे राजस्व रिकॉर्ड में वादी तरमीम करवाना चाहता है। जो व्यापक जनहित में है। वादी व उसके गांव के लोगों ने ख0नं0 1 व 2 के खातेदार काश्तकार को सदामत से गुजरने वाले कदीमी रास्ता जिसे नजरी नक्शा में लाल रंग की लाईन से दर्शाया गया है को राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम करवाने के लिए आग्रह किया तो ख0नं0 1 व 2 के खातेदार काश्तकार ने कहा कि हमने आपको कभी आवागमन से नहीं रोका है रास्ता पीढियों से चला आ रहा है। सरकार रास्ते को देखकर नक्शे में अपने आप तरमीम कर देगी। वादी संलग्न नजरी नक्शा एनेक्श्चर 'क' में लाल रंग से दर्शायी गई 'ए' से 'बी' लाईन को पीछे से चले आ रहे कटानी रास्ता की चौड़ाई में रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता के रूप में अंकन करवाना चाहता है। ख0नं0 1 व 2 के खातेदारों की भूमि उनके राजस्व रिकॉर्ड में से कम नहीं करते हुए चालु रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर नक्शा में रास्ता तरमीम किया जाना न्यायसंगत है। उक्त रास्ता जिसे लाल लाईन से दर्शाया गया है को वादी व अन्य ग्रामीण पीढियों से शान्तिपूर्वक बिना किसी बाधा व रूकावट के निरन्तर उपयोग उपभोग में लेते हुए आवागमन करते चले आ रहे हैं। वादी ने राजस्व रिकॉर्ड की नकले हासिल कर दिनांक 01.05.2025 को प्रतिवादी से सम्पर्क कर कृषि भूमि ख0नं0 1 व 2 के खातेदारो की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में से कम नहीं करते हुए प्रतिवादी को चालु रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने के लिए निवेदन किया तो प्रतिवादी ने द्वारा मामला अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का होने का कहते हुए राजस्व रिकॉर्ड नक्शा दुरूस्त करने से इनकार कर दिया। इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा इन्कार करने से दावा प्रस्तुत करने का कारण व दावा प्रस्तुति का हैतुक वादी की खातेदारी कृषि भूमि होने से है। प्रतिवादी तहसीलदार भानीपुरा को पक्षकार वाद बनाए जाने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु उनसे किसी प्रकार का नुकसानदेह अनुतोष नहीं चाहा गया है। दावा डिक्री होने की सूरत में उनके द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में नक्शा तरमीम किया जाना है। इसलिए उनको बिना 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिए ही पक्षकार दावा बनाया गया है। ख0नं0 1 व 2 के खातेदार जिनका नाम दावा की मद सं0 2 में उल्लेखित है को पक्षकार वाद संयोजित नहीं किया गया है क्योंकि ख0नं0 1 व 2 के खातेदारों ने पीढियों से चले आ रहे रास्ता को कभी बाधित नहीं किया है और ना ही आवागमन

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर (श्रीगं.)

से कभी किसी को मना किया है। ख0नं0 1 व 2 के खातेदारों की कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में कम नहीं होगी चालु रास्ता का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन ही किया जाना है। वादगत कृषि भूमि रोही पिचकराई ताल तहसील भानीपुरा में स्थित होने से दावा हाजा को सुनवाई क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार श्रीमान् को हासिल है। दावा वादी उचित न्याय शुल्क पर हर प्रकार से अन्दर मियाद पेश है। वादी ने दावा में अनुतोष चाहा कि घोषित किया जावे कि खेत ख0 नं0 1 रकबा 16.0200 हैक्टेयर एवं ख0नं0 2 रकबा 8.1300 हैक्टेयर रोही रेख खोजेर पट्टा रावतसर मे से होकर गुजरने वाले सदामत के कदीमी रास्ता जिसे संलग्न नजरी नक्शा एनेक्श्चर 'क' में मार्क 'ए' से 'बी' दर्शाया गया है को ख0नं0 1 व 2 के खातेदारों की कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में से कम नहीं करते हुए रास्ता का अंकन कर राजस्व रिकॉर्ड नक्शा में तरमीम किया जावे। अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो अथवा दौराने सुनवाई वाद हो जावे वो भी प्रदान किया जावे। आपकी अति कृपा होगी।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को सशुल्क तलब किया गया। प्रतिवादी पैरोकार राज उपस्थित आये। पैरोकार राज द्वारा उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश की जिसे शामिल मिसल किया गया। पैरोकार राज तहसीलदार भानीपुरा द्वारा अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट में उल्लेख किया कि *"ग्राम पिचकराई ताल से रेख खोजेर पट्टा रावतसर जाने वाले रास्ते की जांच हल्का पटवारी पिचकराई ताल से ली गई रोही मौजा पिचकराई ताल में उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है जबकि रोही मौजा रेख खोजेर पट्टा रावतसर के ख.नं. 1 व 2 में से होकर यह रास्ता रेख रावतसर की आबादी भूमि ख.नं. 19 तक जाता है। लेकिन रेख खोजेर पट्टा रावतसर के राजस्व रिकॉर्ड में उक्त रास्ता कटानी अंकित नहीं है। ख.नं. 1 व 2 रोही मौजा रेख रावतसर के खातेदारों से सम्पर्क किया गया। उन्होंने बताया कि रास्ता मौके पर सदामत का चल रहा है। आने–जाने में कोई परेशानी नहीं है। वह अपने खसरों में कटानी रास्ता अंकित करने हेतु सहमत नहीं है। रोही मौजा रेख रावतसर के ख.नं. 1 में उक्त रास्ते की लम्बाई लगभग 340 मीटर व ख.नं. 2 में उक्त रास्ते की लगभग 310 मीटर है। साथ में हल्का पटवारी व गिरदावर की रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश की। जिसमें नजरी नक्शा प्रदर्शित किया गया है। जिसे प्रदर्शित करना उचित समझते है। जो निम्न प्रकार है :–*

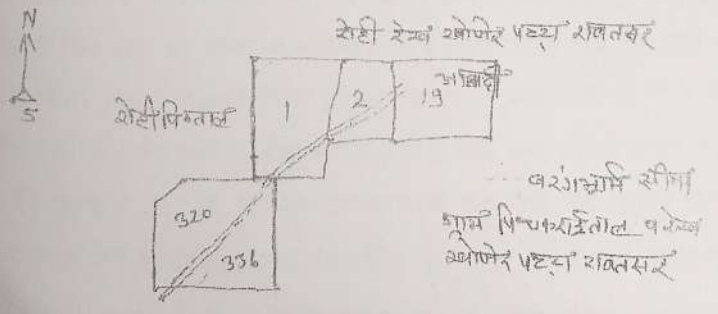

उपखण्ड अधिकारी

वादी के दावा के अभिवचनों व दावा के साथ संलग्न नजरी नक्शा की ताईद पैरोकार राज तहसीलदार भानीपुरा की तथ्यात्मक रिपोर्ट व हल्का पटवारी भू अ.नि. रातूसर की रिपोर्ट एवं उसमें प्रदर्शित नजरी नक्शा से होती है। वादी के दावा का कोई खण्डन नहीं होने पर तनकी विरचित नहीं की गई। वादी के दावा के अनुरूप ही पैरोकार राज का कथन आने से साक्ष्य वादी पेश नहीं की और बहस की इस्तदुआ चाही।

बहस पक्षकारान सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने दौराने बहस दावा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए न्यायालय का ध्यान दावा के साथ प्रस्तुत किये गये राजस्व अभिलेख तथा दावा के साथ प्रस्तुत किये गये नजरी नक्शा और पैरोकार राज द्वारा पेश की गई तथ्यात्मक रिपोर्ट और हल्का पटवारी व भू अ.नि. रातूसर द्वारा पेश की गई रिपोर्ट की ओर ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि वादी गांव पिचकराई ताल का पुश्तैनी निवासी है। वादी के पूर्वज तथा पिचकराई टिब्बा के वर्तमान निवासियों के पूर्वज नजरी नक्शा एनेक्श्चर 'क' में नीला रंग से दर्शायी आबादी भूमि ख0 नं0 19 मौजा रेख खोजेर पट्टा रावतसर में अर्सा पहले रिहायश करते थे। आज से करीब सवा पांच सौ वर्ष पूर्व वादी के पूर्वज खोजेर गांव को छोड़कर वर्तमान गांव पिचकराईं ताल में आकर रिहायश करने लगे तथा कई परिवार गांव खोजेर से पलायन कर नये स्थान गांव पिचकराईं टिब्बा में आकर बस गये तथा कई परिवार अन्य गांवों में जाकर बस गये। वादी के गांव पिचकराईं ताल की आबादी भूमि ख0 नं0 402 जिसे संलग्न नजरी नक्शा में हरा रंग भरकर दर्शाया गया है से एक कटानी रास्ता रेख खोजेर पट्टा रावतसर की ओर गुजरता है जो खेत ख0 नं0 384 से 336 व 320 रोही पिचकराईं ताल तक कटानी है। उससे आगे खेत ख0नं0 1 व 2 में कटानी रास्ता नहीं है। जबकि उक्त खेत में से पीढियों से रास्ता गुजरता है। जिससे होकर पीढी–दर–पीढी उक्त कदीमी रास्ते से वादी सहित ग्रामवासी व खेत ख0नं0 1 व 2 के खातेदार काश्तकार एवं अन्य निरन्तर शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग में लेते चले आ रहे हैं। ख0नं0 1 व 2 के खातेदार काश्तकार के खेत के चिपती ख0 नं0 19 आबादी भूमि रेख खोजेर है। जिसके चिपती उतर की तरफ की भूमि ख0 नं0 27 रोही रेख खोजेर पट्टा शिमला पायतन भूमि है। इस पायतन भूमि में एक बडा कच्चा जोहडा व एक पक्का जोहडा बना हुआ है। कच्चे जोहडे को पातवाना जोहड़ा पुकारते एवं जानते है। जिससे होकर राहगीर आवागमन करते है। वादी के गांव के समीप ही गांव पिचकराईं टिब्बा है तथा नजदीक का गांव शिमला व रातूसर है। रोही रेख खोजेर पट्टा रावतसर जिसे नजरी नक्शा में लाल लाईन से दर्शाया गया है तथा रोही रेख खोजेर पट्टा शिमला जिसे नजरी नक्शा में पीला रंग भरकर दर्शाया गया है इस स्थान पर गांव खोजेर आबाद था। जहां पुराने कुए, कुण्ड बने हुए हैं तथा तेजूवीर दादा का मन्दिर व धर्मशाला भी है। जहां तिथि चौथ पर मेला भरता है। जहां गांव पिचकराईं ताल, पिचकराईं टिब्बा रातूसर, शिमला व अन्य गांवों के सींवर गौत्र के परिवार तेजूपीर दादा के दर्शन करने व धोक लगाने आते हैं तथा कुछ लोग नियमित रूप से धोक देने आते हैं। ख0नं0 1 व 2 के खातेदार काश्तकार के खेत रोही रेख खोजेर पट्टा रावतसर में कटानी रास्ता नहीं है। लेकिन रास्ता पीढियों से गुजरता है उसे संलग्न नजरी नक्शा में A to B अंकित कर लाल रंग की लाईन से दर्शाया गया है। जिसे राजस्व रिकॉर्ड में वादी तरमीम करवाना चाहता है। जो व्यापक जनहित में है। वादी व उसके गांव के लोगों ने ख0नं0 1 व 2 के खातेदार काश्तकार को सदामत से गुजरने वाले कदीमी रास्ता जिसे नजरी नक्शा में लाल

उपखण्ड अधिकारी

रंग की लाईन से दर्शाया गया है को राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम करवाने के लिए आग्रह किया तो ख0नं0 1 व 2 के खातेदार काश्तकार ने कहा कि हमने आपको कभी आवागमन से नहीं रोका है रास्ता पीढियों से चला आ रहा है। सरकार रास्ते को देखकर नक्शे में अपने आप तरमीम कर देगी। वादी संलग्न नजरी नक्शा एनेक्श्चर 'क' में लाल रंग से दर्शायी गई 'ए' से 'बी' लाईन को पीछे से चले आ रहे कटानी रास्ता की चौड़ाई में रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता के रूप में अंकन करवाना चाहता है। ख0नं0 1 व 2 के खातेदारों की भूमि उनके राजस्व रिकॉर्ड में से कम नहीं करते हुए चालु रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर नक्शा में रास्ता तरमीम किया जाना न्यायसंगत है। उक्त रास्ता जिसे लाल लाईन से दर्शाया गया है को वादी व अन्य ग्रामीण पीढियों से शान्तिपूर्वक बिना किसी बाधा व रूकावट के निरन्तर उपयोग उपभोग में लेते हुए आवागमन करते चले आ रहे हैं। इसलिए खेत ख0 नं0 1 रकबा 16.0200 हैक्टेयर एवं ख0नं0 2 रकबा 8.1300 हैक्टेयर रोही रेख खोजेर पट्टा रावतसर मे से होकर गुजरने वाले सदामत के कदीमी रास्ता जिसे संलग्न नजरी नक्शा एनेक्श्चर 'क' में मार्क 'ए' से 'बी' दर्शाया गया है को ख0नं0 1 व 2 के खातेदारों की कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में से कम नहीं करते हुए रास्ता का अंकन कर राजस्व रिकॉर्ड नक्शा में तरमीम किया जावे। प्रकरण के विचारण में यह तथ्य उभर कर आया कि रोही पिचकराई ताल के ख0नं0 320 व 336 तक कटानी रास्ता है ख0नं0 1 व 2 रोही रेख खोजेर पट्टा रावतसर में रास्ता चालु है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में कटानी के रूप में दर्ज नहीं है। ख0नं0 19 आबादी भूमि है। इससे स्पष्ट है कि पूर्व में ख0नं0 19 में गांव बसता था। जिनके गांव पिचकराई ताल में आवागमन का रास्ता ख0नं0 1 व 2 रोही रेख खोजेर पट्टा रावतसर में से होकर रहा है। उक्त रास्ता ख0नं0 19 आबादी भूमि से चिपते जोहड़ पायतन से आगे गांव रातूसर की ओर रास्ता गुजरता है। यह रास्ता गांव पिकचराई ताल से रातूसर के जाने एवं खोजेर गांव जाने वाले रास्ते के रूप में पुकारा व जाना–पहचाना जाता है। इसी रास्ते से ख0नं0 1 व 2 के खातेदार आवागमन करते है। यह रास्ता एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने वाला रास्ता है। उक्त रास्ते को ख0नं0 320 व 336 रोही पिचकराई ताल के मध्य से होकर गुजरने वाले कटानी रास्ता की चौड़ाई मे ही ख0नं0 19 रोही रेख खोजेर पट्टा रावतसर में प्रवेश होने तक की लम्बाई में ख0नं0 1 व 2 के खातेदारों की भूमि रिकॉर्ड में कम नहीं करते हुए रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

वकील वादी के तर्कों का ध्यानपूर्वक मनन किया गया और पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया पैरोकार राज तहसीलदार भानीपुरा एवं पटवारी हल्का पिचकराई ताल व भू अ.नि. रातूसर की रिपोर्ट से वादी के दावा की पुष्टि होती है। खेत ख0 नं0 1 रकबा 16.0200 हैक्टेयर रोही रेख खोजेर पट्टा रावतसर तहसील भानीपुरा में से नजरी नक्शा में प्रदर्शित स्थान से होकर लम्बाई में लगभग 340 मीटर ख.नं. 2 में प्रवेश तक पूर्व में ख0नं0 320 व 336 रोही पिचकराई ताल की भूमि के मध्य से होकर गुजरने वाले कटानी रास्ता की चौडाई में व ख0नं0 2 रकबा 8.1300 हैक्टेयर रोही रेख खोजेर पट्टा रावतसर तहसील भानीपुरा में से नजरी नक्शा में प्रदर्शित स्थान से होकर लम्बाई में लगभग 310 मीटर ख.नं. 19 आबादी भूमि में प्रवेश तक पूर्व में ख0नं0 320 व 336 रोही पिचकराई ताल की भूमि के मध्य से होकर गुजरने वाले कटानी रास्ता की चौडाई में रास्ता का अंकन ख0नं0 1 व 2 के खातेदारों

उपखण्ड अधिकारी
भादरा (हनु.)

की कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में से कम नहीं करते हुए कर राजस्व रिकॉर्ड नक्शा में तरमीम किया जावे। पैरोकार राज तहसीलदार भानीपुरा द्वारा ख.नं. 1 व 2 में चालु रास्ते की लम्बाई के आगे लगभग शब्द का उल्लेख किया है यहां हम लगभग शब्द को परिभाषित करना उचित समझते है यहां लगभग का तात्पर्य अन्तिम छोर तक पहुंचना है। फलस्वरूप वादी निर्णय में प्रदर्शित नजरी नक्शा के अनुसार ख.नं. 1 व 2 रोही रेख खोजेर पट्टा रावतसर तहसील भानीपुरा के राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता का अंकन करवाने का अधिकारी है।

आदेश

वाद वादी पुष्ट एवं प्रमाणित पाया गया है फलस्वरूप डिक्री किया जाकर तहसीलदार भानीपुरा को आदेशित किया जाता है कि खेत ख0 नं0 1 रकबा 16.0200 हैक्टेयर रोही रेख खोजेर पट्टा रावतसर तहसील भानीपुरा में से नजरी नक्शा में प्रदर्शित स्थान से होकर लम्बाई में लगभग 340 मीटर ख.नं. 2 में प्रवेश तक पूर्व में ख0नं0 320 व 336 रोही पिचकराई ताल की भूमि के मध्य से होकर गुजरने वाले कटानी रास्ता की चौडाई में व ख0नं0 2 रकबा 8.1300 हैक्टेयर रोही रेख खोजेर पट्टा रावतसर तहसील भानीपुरा में से नजरी नक्शा में प्रदर्शित स्थान से होकर लम्बाई में लगभग 310 मीटर ख. नं. 19 आबादी भूमि में प्रवेश तक पूर्व में ख0नं0 320 व 336 रोही पिचकराई ताल की भूमि के मध्य से होकर गुजरने वाले कटानी रास्ता की चौडाई में रास्ता का अंकन ख0नं0 1 व 2 के खातेदारों की कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में से कम नहीं करते हुए उक्त भूमि को रास्ता भूमि के रूप में राजस्व रिकॉर्ड नक्शा में अंकन करते हुए तरमीम किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(दिव्या) आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रावतसरशहर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 6/6/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिव्या) आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रावतसरशहर (चूरू)

डिकरी व मुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20 रूल–47 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix D-1)

बइजलास दिव्या RAS

वादपत्र सं. 120 / 2025

अनुवान आदेश सींवर बनाम राजस्थान सरकार

दावा अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसालकतई रू ब रू .....उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर हाजरी श्री महेन्द्र कुमार सीवंर मिनजानिब मुद्दई तहसीलदार भानीपुरा .....मिनजानिबमुद्दायल पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि खेत ख0 नं0 1 रकबा 16.0200 हैक्टेयर रोही रेख खोजेर पट्टा रावतसर तहसील भानीपुरा में से नजरी नक्शा में प्रदर्शित स्थान से होकर लम्बाई में लगभग 340 मीटर ख.नं. 2 में प्रवेश तक पूर्व में ख0नं0 320 व 336 रोही पिचकराई ताल की भूमि के मध्य से होकर गुजरने वाले कटानी रास्ता की चौडाई में व ख0नं0 2 रकबा 8.1300 हैक्टेयर रोही रेख खोजेर पट्टा रावतसर तहसील भानीपुरा में से नजरी नक्शा में प्रदर्शित स्थान से होकर लम्बाई में लगभग 310 मीटर ख.नं. 19 आबादी भूमि में प्रवेश तक पूर्व में ख0नं0 320 व 336 रोही पिचकराई ताल की भूमि के मध्य से होकर गुजरने वाले कटानी रास्ता की चौडाई में रास्ता का अंकन ख0नं0 1 व 2 के खातेदारों की कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में से कम नहीं करते हुए उक्त भूमि को रास्ता भूमि के रूप में राजस्व रिकॉर्ड नक्शा में अंकन करते हुए तरमीम किया जावे।

.....बीज .....मुबलिग .....बाबत .....

..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह .....

फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूल नगदी रू.....का अदा करें।

मेरे दस्तखत मुहर अदालत से आज तारीख 06 माह 06–2025 को जारी की गई है।

उपखण्ड अधिकारी

दस्तखत.....

ओहदा.....

मुहर

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजीदावा	04	00	स्टाम्प वकालतनामा	04	00
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	00	00	महनताना वकील	00	00
महनताना वकील	00	00	खर्चा गवाहान	00	00
खर्चा गवाहान	00	00	फीस कमिश्नर	00	00
फीस कमिश्नर	00	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00	मुतफर्रिक	00	00
मुतफर्रिक	02	00			
मीजान	07	00	मीजान	04	00

नोटः– इस खर्चे के फॉर्म दर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया दो या नहीं, दर्ज करना चाहिये।